38

5731/2...

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमाक : /II/2018 विविध छिन्दबाडा

विविध - 5731/2018/छिंदवाडा/भू.रा.

राकेश पिता भाउराव सेमेकार उम्र करीब 30 साल निवासी लोनिया करबल नई सब्जी मंडी के सामने, छिंदबाडा, तहसील जिला छिन्दबाडा म0प्र0 .... प्रार्थी

बनाम

शनल नेमा पिता अजय कुमार नेमा निवासी वार्ड नं0 6, पोस्ट ओफिस के पास, अमरवाडा, तहसील , अमरवाडा जिला छिन्दबाडा, ...प्रतिप्रार्थी

19-9-18

दिनांक 19-9-18 को श्री ... द्वारा पेश।

19-9-18

पं0दि0 28-9-18

19-9-18

आवेदन पत्र वास्ते प्रकरण 1581/II/2016 आदेश दिनांक 7.7.2016 का निराकरण करने बावत

श्रीमान जी,

प्रार्थी की ओर से आवेदन पत्र निम्नप्रकार प्रस्तुत है–

1. यह कि, उपरोक्त पकरण माननीय न्यायालय के समक्ष लम्बित होकर विचाराधीन है।
2. यह कि, आवेदक खसरा कम्प्रक 288/2, 288/5, 288/6 ग्राम लोनिया करबल, के भूमि स्वामी होकर उनके मकान व दुकान निर्मित है अनावेदक ने आवेदक के मकान व दुकान निर्मित होने के बाद भी विकय पत्र दिनांक 30.9.14 को सर्वे कमाक 289/1/2 मे से विकीतशुदा रकवा 960 वर्गफुट यानि 89.21 वर्गमीटर कय किया है तथा रकवे का नक्शा बनाये मनमाने तौर से सीमांकन कराकर प्रार्थी की दुकान मे अपना रकवा बताने लगे है जबकि अनावेदक के सर्वे कमाक 289/1/2 का आवेदक का कोई सरोकार नही है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक विविध–छिन्दवाड़ा/भू.रा./2018/5731

[illegible] दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6/12/18	विविध आवेदन में अंकित तथ्यों अनुसार प्रकरण की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। यह विविध आवेदन राजस्व मण्डल,म.प्र. ग्वालियर के प्रकरण कमांक 1581–दो/2016 निगरानी में अंतरिम आदेश दिनांक 7–7–16 होना बताते हुये प्रस्तुत हुआ है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को एंव विविध आवेदन में अंकित तथ्यों के प्रकाश में राजस्व मण्डल,म.प्र. ग्वालियर के प्रकरण कमांक 1581–दो/2016 निगरानी के अवलोकन पर पाया गया कि इस प्रकरण में अंतरिम आदेश दिनांक 7–7–16 नहीं है एंव इस प्रकरण का अंतिम निराकरण प्रकरण कमांक 1882–एक/2016 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8–7–16 से किया जा चुका है जिसका अंतिम पद 8 इस प्रकार है :– **उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायव तहसीलदार छिन्दवाड़ा का प्र0क0 4 अ 70/15–16 में पारित आदेश दिनांक 25–5–2016 एंव उसके पश्चात् की समस्त कार्यवाही एंव आदेश निरस्त किये जाते हैं तथा यह निगरानी स्वीकार की जाती है। यह आदेश निगरानी प्रकरण कमांक 1581–एक/2016 पर भी लागू होगा।** आवेदक व्दारा विविध आवेदन के पद 3 में बताया है कि उसके व्दारा राजस्व निरीक्षक एंव पटवारी व्दारा किये गये सीमांकन दिनांक 10–5–16 से परिवेदित होकर राजस्व मण्डल में निगरानी कमांक 1581–दो/2016 प्रस्तुत की है जो लम्बित है एंव निगरानी प्रकरण बिना निराकरण किये रिकार्ड शाखा में दाखिल हो गया है जिसका निराकरण होना आवश्यक है , जबकि तत्का.सदस्य म0 प्र0 राजस्व मण्डल व्दारा निगरानी प्रकरण कमांक 1882–एक/2016 में पारित आदेश दिनांक 8–7–16 से निगरानी कमांक 1581–दो/2016 का अंतिम निराकरण किया जा चुका है। प्रस्तुत विविध आवेदन वास्तविकता के विपरीत होने से निरस्त किया जाता है। सदस्य	